फर्द अहकाम

प्रभुदयाल बनाम सतवीर

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 47/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष
	18/3/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उपस्थित। P.O. महोदय अन्य राजकार्य (चुनाव सम्बन्धी) में व्यस्त है अतः पत्रावली वास्ते बहस अंतिम पूर्वानुसार दिनांक 27/3/24 को पेश हो।	
	27/3/24	आज दिनांक 27/03/24 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेस/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 09/04/24 को पेश हों।	
	09/4/24	आज दिनांक 09/04/24 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेस/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/04/24 को पेश हों।	
	24/4/24	आज दिनांक 24/04/24 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेस/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 01/05/24 को पेश हों।	
	01/05/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उपस्थित। बहस अंतिम सुनी ... निर्णय/आदेश दिनांक 09/05/24 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.27 12:03:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय** जयपुर व इजलास **श्यामा राठौड़, आर.ए.एस**

वाद संख्या : 47/2022
निर्णय दिनांक : 09.05.2024

1. प्रभुदयाल पुत्र श्री आनन्दीलाल मीणा, जाति मीणा —वादी
   निवासी ग्राम कालवाड, पटवार हल्का कांट, तहसील आमेर जिला जयपुर।

बनाम

1. सतवीर पुत्र कन्हैयालाल मीणा
2. महावीर पुत्र कन्हैयालाल मीणा
3. राकेश पुत्र गोपाल लाल मीणा
4. धर्मवीर पुत्र रामोतार मीणा
5. सुनिल पुत्र रामोतार मीणा
   समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम कालवाड, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर। —प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

उभयपक्षकारान के अभिकथनों से यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि आरजी खसरा नंबर 657 वादी की एकल खातेदारिता की कब्जा काश्त व सीमाज्ञान शुदा भूमि है। जिसकी सीमा/परिधि में अविधिक हस्तक्षेप के संदर्भ में वादी द्वारा प्रतिवादीगण को पाबंद कराए जाने बाबत अनुतोष चाहा गया है। जिसके संदर्भ में वादी द्वारा साक्ष्य दस्तावेज प्रदर्श पी 1 जमाबंदी संवत 2076–2079 (खाता सं 66) वाके ग्राम कालवाड तहसील आमेर व प्रदर्श पी 4 सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 01.06.2022 प्रस्तुत कर स्वयं की भारिता को बखूबी सिद्ध किया गया है जबकि प्रतिवादीगण पक्ष द्वारा ना तो कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत कर स्वयं के अभिकथनों की पुष्टि सिद्ध की गई है एवं ना ही वादी साक्ष्य को अपनी मान्य साक्ष्य से खंडित किया जा सका है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 657 वादी की एकल खातेदारिता की सीमाज्ञान शुदा भूमि है। जिससे प्रतिवादीगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है, ना ही प्रतिवादी पक्ष की भूमि विधिक रूप से वादी की भूमि के सीमाजोड़ स्थित भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अभिलिखित खातेदार को स्वयं की खातेदारिता की कब्जाकाश्त शुदा भूमि की सुरक्षा के संदर्भ में गैर खातेदार/ दिगर व्यक्ति द्वारा अविधिक/अनैतिक हस्तक्षेप किए जाने पर उक्त गैर खातेदार को अविधिक/अमान्य कृत्य हेतु पाबंद करवाए जाने के संदर्भ में प्रावधान/अधिकार प्रदत्त किया गया है तथा प्रस्तुत वाद में वादी द्वारा स्वयं की भूमि की सुरक्षार्थ अनुतोष चाहा गया है। जिसका प्रतिवादीगण पक्ष द्वारा सक्षम व मान्य स्तर पर खंडन नहीं किया जा सका है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम कालवाड़ तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वादी की एकल खातेदारिता की सीमाज्ञान शुदा भूमि आराजी खसरा नंबर 657 रकबा 0.28 है. की सीमा/परिधि में वादी के कब्जाकाश्त व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप कारित ना करें एवं वादी की खातेदारिता की भूमि की परिधि में किसी प्रकार का अविधिक कब्जा, अतिक्रमण व निर्माण कार्य ना करें। तदनुसार वाद वादी डिक्री किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.05.2024 को जारी की गई।

दस्तखत ....
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय–जयपुर

ओहदा ....

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.27 12:03:59 IST
Reason: Self Attested

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायला	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी...		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना...		
महन्ताना वकील			खर्चा...		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय,जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्रीमती श्यामा राठौड
वाद संख्या : 47/2022
निर्णय दिनांक : 09.05.2024

1. प्रभुदयाल पुत्र श्री आनन्दीलाल मीणा, जाति मीणा
   निवासी ग्राम कालवाड, पटवार हल्का कांट, तहसील आमेर जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. सतवीर पुत्र कन्हैयालाल मीणा
2. महावीर पुत्र कन्हैयालाल मीणा
3. राकेश पुत्र गोपाल लाल मीणा
4. धर्मवीर पुत्र रामोतार मीणा
5. सुनिल पुत्र रामोतार मीणा

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम कालवाड, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादी की ओर से वाके ग्राम कालवाड तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि आराजी खसरा नंबर 657 रकबा 0.2800 हैक्टेयर जो कि वादी की एकल खातेदारिता की भूमि है तथा खसरा नंबर 657/1236 रकबा 0.1300 हैक्टेयर जो कि गे.मु. आबादी भूमि/सरकारी भूमि के रूप में ग्राम पंचायत कॉट की खातेदारिता में दर्ज अंकित है, के संदर्भ में हस्तगत वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा के प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के विरुद्ध प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वर्णित सरकारी/गे.मु. की आबादी भूमि खसरा नंबर 657/1236 पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया गया है। जिसके पश्चात अब प्रतिवादीगण उक्त भूमि के आसपास की अन्य भूमियों पर अवैध कब्जा करने पर आमादा है तथा इसी उद्देश्य से प्रतिवादीगण वादी की भूमि खसरा नंबर 657 जो कि उपरोक्त वर्णित सरकारी भूमि खसरा नंबर 657/1236 के दक्षिण पूर्व दिशा की ओर सीमाजोड़ भूमि है, पर भी कब्जा करने पर निरंतर आमादा है। जिससे वादी को वाद कारण उत्पन्न होकर वाद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करना आवश्यक व लाजमी हुआ है।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र में वर्णित किया गया है कि विवाद से बचने के लिए वादी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 657 का विधिवत सीमाज्ञान भी करवाया गया है। जिसके उपरांत भी प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि में निरंतर अविधिक हस्तक्षेप किया जा रहा है तथा वादी को हैरान परेशान किया जा रहा है। जिससे वादी का अपनी भूमि (खसरा नंबर 657) पर शांतिपूर्वक काश्त व उपयोग–उपभोग करना मुश्किल होता जा रहा है। इसी क्रम में प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 25.06.2022 को भी वादी की खातेदारिता भूमि पर आकर वादी से मारपीट की गई तथा जबरन वादी को उसकी भूमि से बेदखल कर कब्जा करने तथा भूमि पर पक्का निर्माण करने की धमकी दी गई। जिससे वादी को अपने विधिक अधिकारों की सुरक्षार्थ न्यायालय हाजा के समक्ष वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादी को उसकी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 657 रकबा 0.28 हैक्टेयर वाके ग्राम कालवाड़ पर वादी के शांतिपूर्वक काश्त करने व वादी को भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधाा उत्पन्न ना करें तथा ना ही वादी की खातेदारी में जबरन कब्जा, अथवा किसी प्रकार का अविधिक निर्माण कार्य ना करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.27 12:03:59 IST
Reason: SelfAttested

वादी द्वारा अपने वाद के संदर्भ/समर्थन में निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये गए है:–

1. प्रदर्श पी 1:– प्रमाणित (प्रतिलिपि) प्रति जमाबंदी संवत 2076 से 2079 खाता संख्या 66 वाके ग्राम कालवाड़ तहसील आमेर। जिसके अनुसार भूमि वादग्रस्त खसरा नंबर 657 रकबा 0.28 हैक्टेयर वादी की एकल खातेदारिता की भूमि है।
2. प्रदर्श पी 2:– प्रमाणित प्रति खसरा नक्शा एवं जमाबंदी दिनांक 22.06.2022। जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 657 के उत्तर पश्चिम दिशा की सीमाजोड़ भूमि खसरा नंबर 657/1236 स्थित है।
3. प्रदर्श पी 3:– प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत 2076 से 2079 खाता संख्या 186। जिसके अनुसार

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय–जयपुर

भूमि खसरा नंबर 657/1236 गैर मुमकिन आबादी भूमि के रूप में ग्राम पंचायत कांट के नाम खातोदारिता में दर्ज है।

4. प्रदर्श पी 4:- प्रमाणित/सत्यापित प्रति सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 01.06.2022। जिसके अनुसार भूमि वादग्रस्त खसरा नंबर 657 सीमाज्ञान शुदा भूमि है

वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का जवाब प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 की ओर से अपने जवाब वाद पत्र में अभिकथन किया गया है कि वादपत्र के अन्तर्गत उल्लेखित भूमि खसरा नंबर 657/1236 रकबा 0.13 हैक्टेयर गैर मुमकिन आबादी भूमि है। जो ग्राम पंचायत कांट की खातेदारिता में दर्ज अंकित है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण अपने पूर्वजों के काल से ही निरंतर काबिज होकर तारबंदी कर कच्चे पक्के निर्माण अनुसार भूमि का उपयोग-उपभोग करते आ रहे है तथा ग्राम पंचायत कांट में पट्टा हेतु आवेदन भी कर रखा है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब वाद पत्र में यह भी उल्लेखित किया गया है कि भूमि खसरा नंबर 657/1236 राज्य सरकार की सरकारी भूमि नहीं है अपितु गैर मुमकिन आबादी भूमि दर्ज है जो ग्राम पंचायत में निहित है तथा प्रतिवादीगण का कब्जा, उपयोग-उपभोग बतौर अतिकमी नहीं है बल्कि प्रतिवादीगण वर्षो/दशकों से कृषि कार्य हेतु तारबंदी कर बाड़े के रूप में उपयोग में ले रहे हैं तथा राज्य सरकार अथवा तहसीलदार की ओर से कभी कोई नोटिस/कार्यवाही अतिकमी के रूप में प्रतिवादीगण के विरुद्ध नहीं की गई है। वादी द्वारा भूमि खसरा नंबर 657 रकबा 0.28 हैक्टेयर क्रय की गई है तथा क्रय अनुसार प्राप्त कब्जा अनुसार वादी काबिज काश्त है तथा बिना आधार के प्रतिवादीगण की कब्जा काश्त भूमि को सीमा विवाद के अंतर्गत उल्लेखित कर वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि वादी व प्रतिवादीगण की भूमि की पृथक तारबंदी व मेड सीमा विद्यमान है। जिनको लांघकर कब्जा करने संबंधी कथन असत्य/अस्वीकार्य है तथा प्रतिवादीगण पूर्व से ही प्रचलित कब्जा काश्त अनुसार काबिज है एवं वादी हाल में भूमि क्रय कर सीमांकन कर काबिज है। जिससे वादी को वाद प्रस्तुत करने का कोई औचित्य पूर्ण अधिकार नहीं है तथा असत्य तथ्यों पर प्रस्तुत होने से वाद वादी खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई:-

तनकी सं 1:- आया ग्राम कालवाड तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वादी की खातेदारिता की सीमाज्ञानशुदा भूमि आराजी खसरा नं 657 रकबा 0.2800 है. की उत्तरी पश्चिमी सीमा की परिधि में प्रतिवादीगण जबरन अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिसके बाबत वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है?

-वादी

तनकी सं 2:-आया प्रतिवादीगण ग्राम कालवाड तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नं 657/1236 रकबा 0.13 है. गैर मुमकिन आबादी भूमि की तारबंदी शुदा सीमा/परिधि में विगत 5 दशको से निरन्तर काबिज है। जो कि वादी की खातेदारिता व कब्जे की भूमि नहीं है?

-प्रतिवादीगण

तनकी सं 3:-अनुतोष?

कायम तनकीयात के क्रम में वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र वादी प्रभु दयाल पुत्र आनंदीलाल का प्रस्तुत कर बयान कलमबद्ध कराए गए। जिसके क्रम में अन्य साक्ष्य पेश नहीं करना चाहने बाबत कथन करने पर साक्ष्य वादी बंद की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी नियत की गई। जिसके अनुसरण में निरंतर अवसरों उपरांत भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर साक्षय प्रतिवादी बंद की जाकर पत्रावली वास्ते बहस अंतिम स्थित की गई जिस पर उभयपक्षकारान की बहस अंतिम सुनी गई।

हमने उभयकारान की बहस अंतिम पर मनन किया व पत्रावली में प्रस्तुत/उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के अभिकथनों, प्रस्तुत साक्ष्यो व उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात अनुसार प्रकरण की तनकीयात का निस्तारण निम्न प्रकार है:-

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.27 12:03:59 IST
Reason: SelfAttested

1. तनकी सं 1:- इस तनकी/वाद बिंदु को सिद्ध करने की भारिता वादी पर थी। जिसके अनुसार वादी द्वारा यह सिद्ध किया जाना अपेक्षित था कि वादी की खातेदारिता की भूमि खसरा नंबर 657 की उत्तरी पश्चिमी सीमा की परिधि में प्रतिवादीगण जबरन अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिसके बाबत वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। इस संदर्भ में वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज प्रदर्श पी 1 जमाबंदी संवत 2076-2079 (खाता सं 66) वाके ग्राम कालवाड तहसील आमेर व प्रदर्श पी 4 सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 01.06.2022 से

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि उल्लेखित भूमि खसरा नंबर 657 वादी की एकल खातेदारिता की सीमाज्ञान शुदा भूमि है जिससे प्रतिवादीगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है, ना ही प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कथनों का अपनी कोई मान्य साक्ष्य के आधार पर प्रभावी खंडन किया जा सका है। जबकि वादी द्वारा अपनी खातेदारिता मात्र की सीमाज्ञान शुदा भूमि की परिधि / सीमा भूमि के संदर्भ में अनुतोष चाहा गया है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष मे तय की जाती है।

2. तनकी संख्या 2:–इस तनकी / वाद बिंदु को सिद्ध करने की भारिता प्रतिवादीगण पर थी। जिसके अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा यह सिद्ध किया जाना अपेक्षित था कि प्रतिवादीगण उल्लेखित भूमि खसरा नंबर 657 / 1263 रकबा 0.13 हैक्टेयर गैर मुमकिन आबादी भूमि की तारबंदी शुदा सीमा / परिधि में विगत 5 दशकों से निरंतर काबिज है। जो कि वादी की खातेदारिता व कब्जे की भूमि नहीं है। इस संदर्भ में यद्यपि यह तो निर्विवाद तथ्य है कि आराजी भूमि खसरा नंबर 657 / 1236 वादी की खातेदारिता की कब्जे की भूमि नहीं है, ना ही वादी द्वारा उक्त भूमि के संदर्भ में कोई अनुतोष चाहा गया है परंतु प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई एकमात्र भी साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि यह प्रदर्शित करता हो कि भूमि खसरा नंबर 657 / 1236 गैर मुमकिन आबादी की तारबंदी शुदा सीमा / परिधि में प्रतिवादीगण 5 दशकों से निरंतर काबिज है। अर्थात भूमि खसरा नंबर 657 / 1236 तारबंदी शुदा भूमि है तथा प्रतिवादीगण उक्त भूमि / भूमि के हिस्से पर सअधिकार निरंतर 5 दशकों से काबिज है। ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया है, ना ही उक्त खसरा नंबर के संदर्भ में स्वयं की अधिकारिता सिद्ध की गई है। अतः यह तनके विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

आदेश

उभयपक्षकारान के अभिकथनों से यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि आरजी खसरा नंबर 657 वादी की एकल खातेदारिता की कब्जा काश्त व सीमाज्ञान शुदा भूमि है। जिसकी सीमा / परिधि में अविधिक हस्तक्षेप के संदर्भ में वादी द्वारा प्रतिवादीगण को पाबंद कराए जाने बाबत अनुतोष चाहा गया है। जिसके संदर्भ में वादी द्वारा साक्ष्य दस्तावेज प्रदर्श पी 1 जमाबंदी संवत 2076–2079 (खाता सं 66) वाके ग्राम कालवाड तहसील आमेर व प्रदर्श पी 4 सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 01.06.2022 प्रस्तुत कर स्वयं की भारिता को बखूबी सिद्ध किया गया है जबकि प्रतिवादीगण पक्ष द्वारा ना तो कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत कर स्वयं के अभिकथनों की पुष्टि सिद्ध की गई है एवं ना ही वादी साक्ष्य को अपनी मान्य साक्ष्य से खंडित किया जा सका है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 657 वादी की एकल खातेदारिता की सीमाज्ञान शुदा भूमि है। जिससे प्रतिवादीगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है, ना ही प्रतिवादी पक्ष की भूमि विधिक रूप से वादी की भूमि के सीमाजोड़ स्थित भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अभिलिखित खातेदार को स्वयं की खातेदारिता की कब्जाकाश्त शुदा भूमि की सुरक्षा के संदर्भ में गैर खातेदार / दिगर व्यक्ति द्वारा अविधिक / अनैतिक हस्तक्षेप किए जाने पर उक्त गैर खातेदार को अविधिक / अमान्य कृत्य हेतु पाबंद करवाए जाने के संदर्भ में प्रावधान / अधिकार प्रदत्त किया गया है तथा प्रस्तुत वाद में वादी द्वारा स्वयं की भूमि की सुरक्षार्थ अनुतोष चाहा गया है। जिसका प्रतिवादीगण पक्ष द्वारा सक्षम व मान्य स्तर पर खंडन नहीं किया जा सका है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम कालवाड़ तहसील आमेर [illegible] एकल खातेदारिता की सीमाज्ञान शुदा भूमि आराजी खसरा नंबर 657 रकबा 0.28 है. [illegible] सीमा [illegible] में वादी के कब्जाकाश्त व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की [illegible] कारित [illegible] एवं वादी की खातेदारिता की भूमि की परिधि में किसी प्रकार का अविधिक [illegible] ना करें। तदनुसार वाद वादी डिक्री किया जाता है। पर्चा डिक्री [illegible] 09.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.27 12:03:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
(श्यामा राठौड़)
मुख्यालय जयपुर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर,
मुख्यालय, जयपुर